अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

प्रताप बनाम बजरंग आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 62 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
05.04.2024.	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 166 / 153 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में मदाखलत बैजा न करे एवं मौका एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 03.05.2024 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29.4.24	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] / वादी ने निवेदन किया कि दोनों पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहते। [illegible] स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible] के कारण [illegible] हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड मजिस्ट्रेट नोहर	प्रताप [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:47 IST
Reason: SelfAttested